



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

CENTRAL COALFIELDS LIMITED

A Miniratna Company

(Govt. of India Undertaking)

Marketing & Sales Department

Reg. Office: Darbhanga House, Ranchi

Jharkhand – 834 001

Phone/Fax: (0651) 2360369

CIN NO: U10200JH1956GOI000581

E-mail: gmsnm.ccl@coalindia.in

Web: <https://www.centralcoalfields.in>

Ref No - CCL/HQ/M&S/C-4/2025/ 728

Date:10/04/2025

NOTICE

Sub: Notice for grade wise average sale price for calculation and levying of royalty for Power/Regulated sector.

In continuation to our earlier Notice vide no. **CCL/HQ/C-4/24-25/559 dated 22/03/2025**, this is for kind information to **all Power/Regulated Sector consumers** of CCL that Government of Jharkhand vide notification no ख.नि.(नीति)-01/2025/940 एम. dated 05/04/2025 notified the grade wise average sale price of coal for calculation and levying of Royalty, which is effective on sales/dispatches of coal to Power/Regulated Sector from **the month of April-2025 till further order**. The grade-wise average sale price of coal as notified by the Government of Jharkhand is as below:

	GoJ Price
G3	6,475.27
G4	5,679.37
G5	4,655.11
G6	4,689.81
G7	3,819.46
G8	3,569.27
G9	2,019.29
G10	1,592.38
G11	1,542.49
G12	1,574.74
G13	1,500.38
G17	765.53
W-I	5,193.65
W-II	4,458.35
W-III	3,725.77
W-IV	2,811.53
W-V	2,496.32
W-VI	2,575.53
ST-II	5,391.68

This issues with the approval of competent authority.

10/4/25
General Manager (M&S)

CCL HQ, Ranchi

Copy for kind information please:

1. Director (Marketing), CIL, Kolkata
2. D(F), D(T/O), D(T/P&P), D(P) CCL, Ranchi
3. CVO, CCL, Ranchi
4. TS to CMD, CCL

Distributions:

1. All Area General Managers
2. All Area Sales Managers.
3. All Area Finance Managers.
4. GM (Fin.)/GM(W)/GM(QM)/GM(OP)/GM(P&P), CCL
5. GM(Sys)/ERP, CCL & CIL for needful.
6. SME, SD Module-For modification in the sale module, if required.
7. All Sectional Heads of M&S Dept., CCL, Ranchi
8. Notice Boards of M&S Department/ CSC and publish in CCL website under "Pricing"

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

संचिका सं०-ख०नि०(नीति)-०१ / २०२५ / ...९४०... एम०, दिनांक- ०५/०४/२०२५
झारखण्ड गजट असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित गजट संख्या-१३५, राँची,
गुरुवार २० मार्च, २०२५ के अनुपालन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत
अवस्थित विभिन्न कोलियरी द्वारा माह मार्च, २०२५ में प्रेषित कोयले के आधार पर भारित औसत
बिक्री मूल्य माह अप्रैल, २०२५ से अगले आदेश तक Power/Regulated Sector को प्रेषित किये
जाने वाले कोयले के लिए निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है :-

Grade wise Average Sale Price of Coal

Coal Grade	Avg. Unit Price (In Rs.)
G3	6475.27
G4	5679.37
G5	4655.11
G6	4689.81
G7	3819.46
G8	3569.27
G9	2019.29
G10	1592.38
G11	1542.49
G12	1574.74
G13	1500.38
G17	765.53
Washery-I	5193.65
Washery-II	4458.35
Washery-III	3725.77
Washery-IV	2811.53
Washery-V	2496.32
Washery-VI	2575.53
Steel Grade II	5391.68

नोट :- i. उपरोक्त वर्णित भारित औसत बिक्री मूल्य स्वामिस्व एवं अन्य वैधानिक शुल्क को
छोड़कर है।



- ii. सभी जिला खनन पदाधिकारी को निदेश है कि निर्धारित भारित औसत बिक्री मूल्य के आधार पर Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले पर नियमानुसार स्वामिस्व की गणना एवं वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरवा राजकमल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक—

१४० /एम०, राँची, दिनांक— ०५/०४/२०२५

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित इसकी १०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—

१४० /एम०, राँची, दिनांक— ०५/०४/२०२५

प्रतिलिपि:— सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/निदेशक, खान/निदेशक, भूतत्व/सभी अपर निदेशक, खान/भूतत्व/सभी उप निदेशक, खान/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, भूतत्व/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—

१४० /एम०, राँची, दिनांक— ०५/०४/२०२५

प्रतिलिपि:—अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सर्वश्री सी०सी०एल०/बी०सी०सी०एल०/ई०सी०एल०/एन०टी०पी०सी०/डी०भी०सी०/पी०एस०पी०सी०एल०/डब्लू०बी०पी०डी०सी०एल०/स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि०/टाटा स्टील एवं झारखण्ड राज्यान्तर्गत संचालित अन्य सभी कोयला कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अन्तर्गत संचालित कोयला खनन परियोजनाओं से Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले पर स्वामिस्व का भुगतान निर्धारित भारित औसत बिक्री मूल्य के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—

१४० /एम०, राँची, दिनांक— ०५/०४/२०२५

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव